

कमांक यू-6/2020.

रीवा, दिनांक 17/04/2020

प्रति,

समस्त न्यायाधीशगण,  
रीवा/मउगंज/त्योधर/सिरमौर/हनुमना/मनगवां,  
जिला रीवा।

विषय-माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित एवं राजपत्र दिनांक 01 मार्च 2019 में प्रकाशित वी.सी. गाईड लाईन का पालन सुनिश्चित किये जाने बाबत।  
सन्दर्भ-माननीय उच्च न्यायालय का पत्र कमांक रजिस्ट्रार आई.टी.एस.ए./2020 जबलपुर दिनांक 15.04.2020.


—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सन्दर्भित पत्र में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की Suo Motu रिट (सिविल) नम्बर 05/2020 के आदेश दिनांक 06.04.2020 तथा माननीय उच्च न्यायालय के पत्र दिनांक 20.03.2018, 04.04.2020 एवं 07.04.2020 में विहित निर्देशों के पालनार्थ एवं माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेश दिनांक 14.04.2020 के पालन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित एवं राजपत्र दिनांक 01 मार्च 2019 में प्रकाशित वी.सी. गाईड लाईन का पालन वीडियो कान्फेरिंग के माध्यम से अति आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई हेतु किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त जिला एवं तहसील न्यायालयों में वीडियो कान्फेरिंग प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जिला रजिस्ट्रार, जिला न्यायालय, रीवा को माननीय उच्च न्यायालय के पत्र कमांक रजिस्ट्रार आई.टी.एस.ए./2018/440 जबलपुर दिनांक 20.03.2018 के पालन में वीडियो कान्फेरिंग गाईड-लाईन के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में Single Point of Contact के अन्तर्गत विहित दिशा निर्देश के अनुसार जिला रजिस्ट्रार को अधिकृत किया गया है।

अतः उक्त सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार सन्दर्भित पत्र की प्रति आपकी ओर राजपत्र दिनांक 01 मार्च 2019 में प्रकाशित वी.सी. गाईड-लाईन का पालन किये जाने के सम्बन्ध में संलग्न कर प्रेषित है।


संलग्न:- सन्दर्भित पत्र।

  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
रीवा (मोप्रो)  
रीवा, दिनांक 17/04/2020

कमांक यू-7/2020.

प्रतिलिपि:-

- 1- जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, रीवा।
- 2- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रीवा।
- 3- सिविल सर्जन जिला अस्पताल रीवा।
- 4- सिस्टम आफिसर की ओर माननीय उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश के अनुसार हेल्प लाईन नम्बर जिला न्यायालय की वेबसाइट पर पब्लिस कराये जाने बाबत।

  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
रीवा (मोप्रो)